Fax/Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना–0101)–141 / 2017 ....1237/...

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह–बंदोबस्त पदाधिकारी,
लखीसराय, दरंभगा, जमुई, सुपौल, अररिया,
मुंगेर एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान बोधगया।

पटना, दिनांक : 17/8/2017

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उप शीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आपके अधीनस्थ कार्यालय को उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार कुल 2,36,60,857 /= (दो करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार आठ सौ सन्तावन) रूपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता है।

2.. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / इकाई कोड / माँग संख्या – 40 एवं विपत्र कोड **40 – 2029001020101** अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।

5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय होने वाली वेतनादि मद एवं अन्य मद के लिए निर्गत किया जाता है।

6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एंव त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

9. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को ही दी जा रही है।

11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन
16/8/17

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0101)–129 / 2016..1234/पटना **पटना, दिनांक** 17/8/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/17

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

निबंधित

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0101)–129 / 2016..1234/पटना **पटना, दिनांक** 17/8/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :– कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय, दरभंगा, जमुई, सुपौल, अररिया, मुंगेर एवं राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान बोधगया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/17

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0101)–129 / 2016..1234/पटना **पटना, दिनांक** 17/8/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/17

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0101)–129 / 2016..1234/पटना **पटना, दिनांक** 17/8/2017

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार, लेखापाल, बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/17

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व – उपमुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 102 – सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य – उपशीर्ष – 0101 – सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन :–

क्र0	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 वेतन	01 03 जीवन यापन भता	01 04 मकान किराया भत्ता	01 05 परिवहन भता	01 06 चिकित्सा भत्ता	01 07 अन्य भत्ता	02 01 मजदूरी	11 01 यात्रा व्यय	13 01 कार्यालय व्यय	13 03 दुरभाष	13 04 विधुत प्रभार	13 06 वर्दी/ पोशाक	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	14 01 किराया महसूल एवं कर	28 02 संविदा सेवाएँ	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	लखीसराय	...	...	...	...	...	...	250000	200000	...	...	...	...	...	...	2000000	2450000
2	दरभंगा	...	...	...	...	...	1500	50000	...	...	...	10000	5000	...	18825	...	85325
3	जमुई	600000	700000	10000	...	5000	...	...	...	5000	...	...	...	...	...	300000	1620000
4	सुपौल	4000000	160000	240000	...	20000	...	...	100000	150000	30000	...	30000	...	...	200000	4930000
5	अररिया	3448984	115176	58388	8400	13200	5520	...	40000	20000	...	30000	...	...	...	...	3739668
6	मुंगेर	6732000	538560	538560	30400	...	2880	...	100000	200000	12000	...	...	187000	...	...	8341400
7	राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान बोधगया	415440	529000	41544	...	5800	2680	...	...	...	...	...	...	...	...	1500000	2494464
	कुल योग	15196424	2042736	888492	38800	44000	12580	300000	440000	375000	42000	40000	35000	187000	18825	4000000	23660857

(दो करोड़ छत्तीस लाख साठ हजार आठ सौ सन्तावन रूपये मात्र)

16/6/17

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना